2 भूमिका

महिलाओं के हितों की रक्षा करने के प्रयोजन से पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुपालन में, राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। आयोग को मिले व्यापक अधिदेश में महिलाओं के विकास से संबंधित लगभग सभी मुद्दे आते हैं, अर्थात् संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रदत्त रक्षोपायों का विश्लेषण और जांच करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना; संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान प्रावधानों की पुनरीक्षा करना तथा ऐसी विधियों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करना; महिलाओं के अधिकारों आदि की वंचनाओं संबंधी विषयों पर प्राप्त शिकायतों को देखना तथा ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेना और उपयुक्त अधिकारियों के साथ इन मुद्दों को उठाना; महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन/शोध करना; महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेना और उस पर परामर्श देना तथा इस संबंध में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना; जेलों, सुधार–गृहों आदि का, जहां महिलाओं को रखा जाता है, निरीक्षण करना और जहां आवश्यक हो उपचारात्मक कार्यवाही करना।

इस अधिदेश के अनुसरण में, आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्यवाही की। आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों एवं अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय महिला आयोग/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/सेमिनारों/कार्यशालाओं/जन सुनवाई बैठकों आदि में भाग लिया और महिलाओं पर किए गये अत्याचारों के विभिन्न मामलों की जांच की। इसके अतिरिक्त, वे जेल, अस्पतालों में भी गए और गैर–सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों के महिला अध्ययन केंद्रों द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के संबंध में आयोजित किए गए कानूनी जागरूकता कैम्पों में भाग लिया ताकि वहां महिलाओं द्वारा झेली जा रही समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सके और उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जा सके और संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया जा सके। आयोग में महिलाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है।

आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं और त्वरित न्याय दिलाने के लिए उसने कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने लैंगिक आधार पर भेदभाव के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों, पारिवारिक महिला लोक अदालतों तथा सेमिनारों/कार्यशालाओं, परामर्श सत्रों आदि का आयोजन किया एवं नारी भ्रूण हत्या, महिलाओं के साथ हिंसा, बाल विवाह आदि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध समाज में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रचार अभियान चलाया। इन कार्यक्रमों के आयोजनों में गैर सरकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

आयोग का गठन

वर्ष 2008–09 के दौरान, आयोग में नियुक्त इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के संबंध में विवरण निम्नवत है:

(i) डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा – 16.02.2005 से 15.02.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 09.04.2008 को कार्यभार संभाला)

(ii) सुश्री यास्मीन अब्रार, सदस्य – 24.05.2005 से 23.05.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 15.07.2008 को कार्यभाल संभाला)

(iii) सुश्री नीवा कंवर, सदस्य – 27.05.2005 से 26.05.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 15.07.2008 से 12.02.2010 तक पद पर आसीन रहीं)

(iv) सुश्री मंजु एस. हेम्ब्रोम, सदस्य – 30.06.2006 से 29.06.2009 तक

(v) सुश्री वानसुक सैयम, सदस्य – 26.09.2008 को कार्यभार संभाला

(vi) श्री एस. चटर्जी, सदस्य–सचिव – 10.09.2007 से 26.03.2010 तक

(vii) सुश्री ज़ोहरा चटर्जी, सदस्य–सचिव – 26.03.2010 को कार्यभार संभाला

आयोग के कृत्य मुख्यतः इसके चार प्रकोष्ठों द्वारा किए जाते हैं अर्थात शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ, अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ, विधिक प्रकोष्ठ तथा अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ। प्रत्येक प्रकोष्ठ द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का वर्णन क्रमशः अध्याय 3, 4, 5, 6 और 7 में किया गया है। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–1** में दिया गया है।

आयोग की बैठकों में लिए गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों का सार

वर्ष 2009–10 के दौरान आयोग द्वारा महिलाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनेक बैठकें आयोजित की गईं। आयोग द्वारा आयोजित की गई बैठकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(1) आयोग की 18 जून, 2009 को हुई बैठक:

इस बैठक में भारत के संविधान में महिलाओं के कल्याणार्थ दिए गए विभिन्न उपबंधों और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों पर जनजातीय महिलाओं में कानूनी जागरूकता उत्पन्न करने से संबंधित मुद्दे पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। यह सहमति हुई कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में एक विशेष स्कीम शुरू किए जाने की आवश्यकता है। इस स्कीम के अंतर्गत चलाए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम की अवधि दो घंटे होगी और उपलब्ध कराई गई निधि प्रति कार्यक्रम 5000/– रुपए से 7000/– रुपए तक होगी। कार्यक्रम इन राज्यों के कम से कम 50 प्रखंडों (ब्लॉकों) में आयोजित किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों में जनजातीय आबादी की सघनता वाले जिलों की पहचान करने की आवश्यकता है।

2. आयोग की 24 अगस्त, 2009 को हुई बैठक:

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुदान मांग (2008–09) के संबंध में संसदीय स्थायी समिति की 209वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट की मद संख्या 18.2 के संबंध में यह बताया गया कि वित्त वर्ष 2008–09 के संबंध में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्राप्त हुई 12,895 शिकायतों में से लंबित मामलों की संख्या 5,386 है। 2320 की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टें (एटीआर) प्राप्त हुई थीं, 7509 शिकायतों पर कार्रवाई की गई और 1077 मामले बंद कर दिए गए। लंबित पड़े मामलों को निपटाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर आयोग को सहायता प्रदान करने के लिए दहेज, यौन उत्पीड़न आदि जैसे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करके एक समिति गठित की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि वर्ष–वार लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित विषयों के विशेषज्ञ संबंधित सदस्य के साथ बैठकर कार्य करेंगे। की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट की प्रतियां शिकायतकर्ता को भेज दी जाएंगी और यदि एक उचित समय के भीतर शिकायतकर्ता से कोई उत्तर प्राप्त न हो, तो मामले को बंद समझा जाएगा। बंद मामलों के संबंध में यह सहमति हुई कि यदि शिकायतकर्ता बाद के किसी चरण में अपनी शिकायत पर पुनः बल देता हो तो संबंधित मामले को फिर से खोला जा सकता है। बंद मामलों की फाइलों के उपयुक्त रखरखाव का उत्तरदायित्व अभिरक्षक/संबंधित परामर्शदाता का होगा।

3. आयोग की 18 नवंबर, 2009 को हुई बैठकः

(i) वर्ष 2007–08 और वर्ष 2008–09 के दौरान आयोजित किए जाने वाले विधि जागरूकता कार्यक्रमों के लंबित पड़े होने के संबंध में आयोग ने विचार–विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया कि जिन मामलों में डेढ़ वर्षों की अवधि के भीतर अर्थात मार्च, 2009 तक कार्यक्रम आयोजित करने/अध्ययन कार्यक्रम चलाने के संबंध में कोई स्वीकार्यता पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उन मामलों को बंद समझा जाए। जिन मामलों में फाइलें नहीं मिल रही हों, उनमें संबंधित संगठनों से बिल/वाउचर की प्रतियां प्राप्त करके फाइल फिर से तैयार की जाए और उस पर कार्रवाई शुरू की जाए। भविष्य में जांच समिति के अनुमोदन के पश्चात मामलों पर कार्यवाही करने के लिए तय की गई समय–सीमा का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। फाइलों के सुरक्षित रखरखाव का उत्तरदायित्व फाइलों के अभिरक्षक का है। विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अभिलेखों तथा अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ की फाइलों के रखरखाव के लिए 6 महीनों के लिए अस्थायी आधार पर कर्मचारी को तैनात करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में किसी नए कर्मचारी को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह कार्य विद्यमान कर्मचारियों से ही कराया जाए।

(ii) एयर इंडिया की कर्मचारी श्रीमती कोमल सिंह द्वारा लगाए गए इस आशय के आरोप कि उसके साथ 03 अक्तूबर, 2009 को एयर इंडिया की उड़ान संख्या आईसी–884 के पायलटों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया और वह उनके यौन आक्रमण की शिकार हुई, की घटना में जांच के लिए नियुक्त की गई जांच समिति की रिपोर्ट के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की उप–समिति की सिफारिशों से यह स्थापित हुआ कि एयर इंडिया के कैप्टन द्वारा वास्तव में उस महिला कर्मचारी को धक्का दिया गया था। चाहे इसका कारण कुछ भी रहा हो, इस प्रकार का आचरण स्वीकार्य नहीं है। अतः आयोग ने रिपोर्ट में दिए गए इस बिंदु पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं की, जिसमें महिला कर्मचारी के साथ किए गए आचरण को युक्तियुक्त ठहराने की बात की गई थी। आयोग ने जोर देते हुए यह कहा कि एयर इंडिया के कैप्टन द्वारा सुश्री कोमल सिंह के साथ की गई धक्का–मुक्की और अशोभनीय भाषा का प्रयोग अनपेक्षित था तथा इससे उसके एक व्यावसायिक के रूप में और साथ ही एक महिला के रूप में भी पीड़िता की गरिमा और सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आयोग ने इस प्रकार के आचारण की निंदा की तथा इस बात पर बल दिया कि महिला की गरिमा और उसके सम्मान की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए।

आयोग की अंतरिम रिपोर्ट और उपयुक्त टिप्पणियां उचित कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को भेजी गई है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में विभिन्न संबद्ध एसोसिएशनों की राय भी प्राप्त की जाएगी तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

4. आयोग की 21 जनवरी, 2010 को हुई बैठक

(i) यह निर्णय लिया गया कि 2010 में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख राष्ट्र स्तरीय सेमिनार/कार्यशालाएं फरवरी और मार्च के महीनों में आयोजित की जाएं।

(ii) चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सवाई माधोपुर, डिब्रुगढ़, जोरहाट और शिवसागर में क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित किए जाने हैं। इस संबंध में अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ द्वारा विचारार्थ विषयों का सुझाव दिया गया। सेमिनारों का आयोजन स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, जिला प्रशासनों के माध्यम से किया गया।

(iii) आयोग ने इस बात पर ध्यान दिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के परिसर के नवीनीकरण से संबंधित कार्य में कोई तेजी नहीं आई है। इस संबंध में प्रशासन अनुभाग को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया ताकि बिना और देरी किए बैठने से संबंधित व्यवस्था और अन्य व्यवस्था उचित रूप में कर ली जाए।

5. आयोग की 12 फरवरी, 2010 को हुई बैठक

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि सदस्य–सचिव एक लाख रुपए तक की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इस राशि से अधिक के व्यय के लिए आयोग का औपचारिक अनुमोदन अपेक्षित होगा। तत्काल व्यय करने की स्थिति उत्पन्न होने और आयोग की बैठक आयोजित करने में असमर्थता की स्थिति होने पर सदस्य–सचिव द्वारा आयोग की अध्यक्षा के परामर्श से एक लाख रुपए से अधिक की राशि का व्यय किया जाएगा तथा जब कभी भी आयोग की बैठक आयोजित की जाए, इस संबंध में आयोग का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(ii) आगरा निवासी श्रीमती प्रीति कोहली के संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट भी आयोग के समक्ष अनुमोदनार्थ रखी गई। इसे आयोग द्वारा नोट किया गया क्योंकि इस संबंध में आयोग ने पहले ही उत्तर प्रदेश शासन और गृह मंत्रालय से यह अनुरोध किया था कि उचित पुलिस प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जांच की जाए और यथापेक्षित कार्रवाई की जाए।

(iii) अध्यक्षा ने यह निर्देश दिया कि आयोग की अगली बैठक की कार्यसूची में विभिन्न जांच समितियों की रिपोर्टें शामिल की जाएं। सभी सदस्यों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने द्वारा की गई जांचों के संबंध में लंबित रिपोर्टें यथाशीघ्र पूरी करके आयोग को प्रस्तुत करें।

राष्ट्रीय महिला आयोग में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और अन्य प्रतिनिधियों का दौरा

1. तिमोर–लेस्टे की संसदीय समिति द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा :

तिमोर–लेस्टे की राष्ट्रीय संसद से निर्धनता न्यूनीकरण, ग्रामीण विकास और लैंगिक समानता से संबंधित एक संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने श्री ओसोरियो फ्लोरिंडो (समिति के अध्यक्ष) के नेतृत्व में हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों और अन्य अधिकारियों से बातचीत की।

राष्ट्रीय महिला आयोग और इसके कार्यों के संबंध में संक्षिप्त बातचीत के पश्चात आयोग की अध्यक्षा ने यह स्पष्ट किया कि आयोग में तीन महत्त्वपूर्ण एकक कार्य कर रहे हैं – शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ, अनुसंधान और अध्ययन प्रकोष्ठ तथा विधिक प्रकोष्ठ। उन्होंने बताया कि आयोग का विधिक प्रकोष्ठ महिलाओं से संबंधित कानूनों को प्रस्तावित और उनकी समीक्षा करता है जबकि अनुसंधान और अध्ययन प्रकोष्ठ महिलाओं से संबंधित मामलों पर अध्ययन करता है तथा महिलाओं के अधिकारों और उनसे संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य करता है।

आयोग के कार्यकरण के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग महिलाओं से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है और संबंधित मामले में जांच करने के लिए जांच समिति गठित करता है तथा जांच से प्राप्त हुई रिपोर्टें संबंधित राज्य या विभागों को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु भेजी जाती हैं।

2. मैक्सिको के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

विश्व युवा सम्मेलन, 2010 के प्रमुख समन्वयक श्री सिसिलियो गार्जा ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग की अध्यक्षा और सदस्यों के साथ बातचीत की। आयोग में आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मैक्सिको

और भारत के बीच समानताओं पर विचार–विमर्श किया। तत्पश्चात श्री गार्जा ने मैक्सिको में आयोजित किए जाने वाले विश्व युवा सम्मेलन, 2010 के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि काफी समय पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1985 को "अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष" के रूप में घोषित किया था और अब इस संबंध में समीक्षा करने और फिर से निर्णय करने का समय आ गया है। हमारी प्रमुख योजना युवकों के लिए अधिक समन्वित, व्यापक और सुसंगत रणनीति तैयार करने की है।

श्री गार्जा ने आयोग से सहायता प्रदान करने और अपने विचारों से अवगत कराते रहने का आग्रह किया। डॉ. व्यास ने आयोग में आए प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि आयोग निश्चित रूप से इस संबंध में सकारात्मक रूप में कार्य करेगा।

3. नेपाली प्रतिनिधिमंडल द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा

नेपाल के विभिन्न मीडिया संगठनों से 12 महिला संपादकों और पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों, सदस्य–सचिव और अधिकारियों से बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, सदस्य–सचिव श्री एस. चटर्जी ने राष्ट्रीय महिला आयोग के मुख्य कार्यों का उल्लेख किया जिसमें शिकायतों का निपटान, कानूनों की समीक्षा, महिलाओं से संबंधित मामलों पर अनुसंधान और कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव आदि शामिल है।

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि भारत में महिलाओं के साथ अत्याचारों के संबंध में कुछ बहुत कठोर कानून निर्मित किए गए हैं किंतु उनके क्रियान्वयन की स्थिति काफी लचर है। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित ऐसे कानूनों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में नागरिक, समाज और मीडिया की भूमिका काफी व्यापक है।

इस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए, विधि अधिकारी श्री योगेश मेहता ने कहा कि भारत सरकार बलात्कार से संबंधित कानूनों की समीक्षा कर रही है तथा बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाने पर विचार कर रही है तथा साथ ही, यौन आक्रमण की पीड़ित महिलाओं के लिए राहत, पुनर्वास और उद्धार कार्यक्रम का प्रारूप भी तैयार कर रही है।

नेपाली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मानव के अनैतिक दुर्व्यापार से संबंधित मामलों पर अपनी चिंता व्यक्त की जिससे भारत और नेपाल दोनों देश ग्रसित हैं और यह आशा की कि भारत और नेपाल दोनों देश अपनी इस साझा समस्या से निपटने के लिए आपस में मिलकर कार्य करेंगे।

4. बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों का दौरा

बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग में पधारे और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों और अधिकारियों के साथ कुछ द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

बैठक के पश्चात सामने आए कुछ सुझाव निम्नवत थे:

1. आयोग रेलगाड़ियों में महिलाओं के लिए अलग से डिब्बे आरक्षित करने के लिए रेल मंत्रालय को लिखेगा क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक रेलगाड़ियों में इस समय महिलाओं के लिए अलग से डिब्बे नहीं जोड़े जाते।
2. आयोग बिहार सरकार को विवाह के अनिवार्य पंजीकरण को लागू करने के लिए लिखेगा।
3. राज्य सरकार के साथ स्वाधार योजना को लागू करने से संबंधित मामले को उठाया जाए।
4. राष्ट्रीय आयोग महिलाओं से संबंधित मामलों पर सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य महिला आयोग को अपनी सहायता प्रदान करेगा।

आयोग की अध्यक्षा एवं सदस्यों द्वारा विदेशों का दौरा

1. अध्यक्षा का भूटान दौराः

डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा ने लोक सभा से भारतीय संसद के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में चार दिनों की अवधि के दौरान भूटान का दौरा किया।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा द्वारा न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की बैठक में भाग लेना

डॉ. गिरिजा व्यास, संसद सदस्य और भारतीय संसद के प्रतिनिधिमंडल की सदस्य ने न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की बैठक के 64वें सत्र की दूसरी समिति में निर्धनता उन्मूलन और अन्य विकासात्मक मुद्दों पर अपना व्याख्यान दिया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे आर्थिक संकट, जो व्यापक बेरोजगारी के कारण है और जिसने लाखों लोगों को निर्धनता की दलदल में धकेल दिया है और जिसके कारण वर्षों के विकासात्मक क्रियाकलापों से हुए लाभों के समाप्त होने का खतरा सन्निकट है, को देखते हुए, निर्धनता उन्मूलन अत्यधिक अपरिहार्य हो गया है। अतः यह अत्यधिक आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा निर्धनता उन्मूलन पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना जारी रखा जाए।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को उन्नत बाज़ार अभिगम, ऋण से मुक्ति और अत्यधिक महत्त्व की प्रौद्योगिकियों को वहनीय मूल्यों पर अंतरित करके विकास की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए, मानव विकास के सभी पहलुओं को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। विकासात्मक प्रक्रियाओं को सर्वाधिक महत्त्व देना सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय जगत की सोच में अधिक लोच लाने की आवश्यकता है।

विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका से संबंधित मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तीकरण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक–आर्थिक विकास पर इसका गुणनात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः यह अनिवार्य है कि आयोजना और निर्णयन, शिक्षा, उत्पादनकारी संसाधनों तक वर्धित अभिगम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

डॉ. गिरिजा व्यास ने क्यूबा पर अमेरिकी नाकेबंदी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के विचार की पुष्टि भी की। डॉ. व्यास ने कहा कि पिछले 17 वर्षों से लगातार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस कार्यसूची मद पर चर्चा करते हुए, "ऐसे किसी भी कानून और विनियम को लागू करने को विशेष रूप से और पूर्णतः अस्वीकार किया है जो संबंधित देश की प्रादेशिक सीमा से बाहर प्रभावित होता हो।" उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्य की बात है कि बार–बार संकल्प पारित किए जाने के बावजूद इनका कोई प्रभाव नहीं हो सका है।" उन्होंने जोर देकर कहा, "क्यूबा पर लगभग पांच दशक पुरानी अमेरिकी नाकेबंदी और अमेरिकी कानूनों का उसकी प्रादेशिक सीमा से बाहर लागू होना अभी भी जारी है। हम इस नाकेबंदी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यक्त विचारों के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।"

प्रेस सम्मेलन

1. बलात्कार पीड़िताओं के लिए स्कीम के संबंध में सम्मेलन कक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग में 04 जुलाई, 2009 को प्रेस सम्मेलन

बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से अत्यधिक विक्षुब्ध होकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार पीड़िताओं को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने की स्कीम को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए कहा था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि बलात्कार विरोधी कानून को प्रभावी बनाया जाए तथा महिलाओं और बच्चों के साथ हुए जघन्य यौन अपराधों को इस कानून की परिधि में लाया जाए।

मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग यौन आक्रमण से संबंधित कानूनों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस करता है क्योंकि मौजूदा कानून की परिधि में महिलाओं और बच्चों के साथ किए जा रहे नए–नए प्रकार के यौन आक्रमण संबंधी अपराध शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से बलात्कार की परिभाषा में परिवर्तन का अनुरोध किया ताकि इसकी परिधि में विभिन्न अन्य प्रकार के यौन आक्रमणों को शामिल किया जा सके। ये सिफारिशें इस मुद्दे पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परामर्श सत्र द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित थीं।

2. बलात्कार पीड़िताओं के लिए स्कीम पर राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान 25 जुलाई, 2009 को सिम्पोजिया हॉल, एनएएससी कांप्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस

इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए, डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं न केवल मानसिक और शारीरिक आघात से पीड़ित होती हैं बल्कि वे ऐसे जघन्य अपराध की पीड़िता होने पर कलंक और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करती हैं। उन्होंने कहा कि बलात्कार की पीड़िताएं दो प्रकार के संकट के दौर से गुजरती हैं – एक बार जब उनके साथ बलात्कार होता है और दूसरी बार तब जबकि न्यायालय में अभियोजन संबंधी कार्रवाई चलाई जाती है। यह स्कीम पीड़िता को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने में समर्थ बनाने की दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के लिए पुनर्वास अनुदान के रूप में 68 करोड़ रुपए का बजट सुरक्षित रखा गया है।

3. स्त्री अशिष्टरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन संबंधी सिफारिशों पर सिल्वर ओक हॉल, इंडिया हैबिटाट सेंटर, नई दिल्ली में 24 अगस्त, 2009 को 12.30 बजे अपराह्न आयोजित किया गया प्रेस सम्मेलन

दूरदर्शन पर महिलाओं के अशिष्ट रूपण से क्षुब्ध होकर राष्ट्रीय महिला आयोग इस कानून में आवश्यक परिवर्तन करने के पक्ष में है ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस कानून की परिधि में लाया जा सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्त्री और बाल अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया है ताकि इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए और अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया जा सके और टेलीविजन के चैनलों पर भी यह कानून लागू हो सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने इस प्रेस सम्मेलन में कहा कि इस संबंध में एक सिफारिश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दी गई है। अधिनियम के कार्यक्षेत्र और उसकी प्रयोज्यता को व्यापक बनाने के लिए "विज्ञापन" शब्द की परिभाषा में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है।

डॉ. व्यास ने कहा कि विज्ञापन में लेजर लाइट और धुआं सहित किसी भी प्रकार के प्रकाश की सहायता से निर्मित दृश्य निरूपण के अतिरिक्त कोई भी सूचना, परिपत्र, लेवल, रैपर या अन्य कोई दस्तावेज शामिल होगा।

4. अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के उद्घाटन के अवसर पर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 27 अगस्त, 2009 को आयोजित प्रेस सम्मेलन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक विशेष अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ की स्थापना की है जो अनिवासी भारतीयों से विवाहों और उनसे संबंधित विवादों के मामलों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखेगा।

मीडिया से बात करते हुए, डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग को अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस प्रकोष्ठ के जरिए, जिसके आधार पर प्रवासी भारतीय कार्य

मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, महिलाएं मध्यस्थता द्वारा अपने विवादों का समाधान प्राप्त कर सकती हैं। यह प्रकोष्ठ विदेशों में रहने वाले अपने पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को स्वीकार करेगा और उस पर कार्यवाही करेगा।

5. 24 सितंबर, 2009 को 11.00 बजे पूर्वाह्न राष्ट्रीय महिला आयोग के परिसर 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, आईसीसीडब्ल्यू भवन, नई दिल्ली में अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ (राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में) शुरू किए जाने के अवसर पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस

प्रेस से बातचीत करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ अनिवासी भारतीयों से विवाहों के संबंध में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों के निपटान के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि अनिवासी भारतीयों से विवाहों के संबंध में उत्पन्न शिकायतों से निपटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वयक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

6. तेजाब से हुए हमलों की पीड़िताओं को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास विषय पर सम्मेलन कक्ष में 05 अक्तूबर, 2009 को आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस

डॉ. गिरिजा व्यास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेजाब से हमला अपराध निवारण विधेयक, 2008 का प्रारूप तैयार किया है। इस विधेयक में तेजाब से हुए हमलों को एक अलग प्रकार के अपराध की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अनुमोदनार्थ भेजा गया विधेयक विशेष रूप से तेजाब से हुए हमलों से संबंधित है। इसमें पीड़िताओं के उपचार और उनके पुनर्वास से संबंधित स्कीमें शामिल हैं।

7. महिलाओं और बच्चों को भरण–पोषण प्रदान करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के संबंध में सम्मेलन कक्ष में 13 अक्तूबर, 2009 को 03.30 बजे अपराह्न आयोजित की गई प्रेस कान्फ्रेंस

भरण–पोषण प्रदान करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रमुख बदलाव लाने से संबंधित मामलों पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए, डॉ. व्यास ने कहा कि दावे दायर करने से संबंधित प्रक्रिया सरल बनाई जानी चाहिए और इसे समयबद्ध भी बनाया जाना चाहिए और अधिक से अधिक पांच सुनवाइयों में दावों का निपटान कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निजी कूरियर सेवाओं के जरिए भी पत्र भेजे जाने की वैकल्पिक व्यवस्था तलाशी जानी चाहिए।

8. 13 नवंबर, 2009 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली मेंघरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम, 2005 को लागू करने के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन

प्रेस से बातचीत करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि महिलाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक हिंसा का शिकार होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का भारत भर में घरेलू हिंसा करने वालों की सूची में सबसे पहला स्थान है, जहां इस अधिनियम के अंतर्गत 3892 मामले दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में दिल्ली का दूसरा स्थान है, जहां 3463 मामले दर्ज किए गए हैं और केरल का तीसरा स्थान है, जहां 3190 मामले दर्ज किए गए हैं।

9. रुचिका मामले में 23 दिसंबर, 2009 को आयोजित प्रेस सम्मेलन

हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस.पी.एस. राठौर को एक अवयस्क बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के लिए काफी हलकी सजा देने वाले हाल में आए न्यायालय के आदेश पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने हरियाणा सरकार से इस मामले की फिर से जांच करने का अनुरोध किया।

डॉ. व्यास ने कहा, " राष्ट्रीय महिला आयोग इस बात से अत्यधिक व्यथित है कि इस विशेष मामले में प्रत्येक चरण पर जांच की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए प्रयास किए जाने का आरोप लगता रहा है।"

डॉ. व्यास ने हरियाणा के मुख्य मंत्री से यह अनुरोध किया है कि इस मामले में जांच में जो भी कमी रही है, उसकी पहचान की जाए और न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने की संभावना तलाशी जाए। आयोग की अध्यक्षा ने कहा, "यह ज्ञात हुआ है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप पुलिस द्वारा वापस ले लिया गया था।" हालांकि पूर्व पुलिस अधिकारी श्री राठौर को न्यायालय द्वारा दोषी माना गया किंतु उसे मात्र 6 महीने के कारावास की सजा दी गई।

10. आयोग के अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के क्रियाकलापों पर 21 जनवरी, 2010 को आयोजित प्रेस सम्मेलन

अनिवासी भारतीयों से विवाह के मुद्दे पर एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने सुझाव दिया कि अनिवासी भारतीयों से संबंधित मामलों के लिए एक व्यापक पृथक कानून बनाया जाना चाहिए क्योंकि अनिवासी भारतीय दुल्हे केवल दहेज के लिए भारत में विवाह करते हैं और थोड़े समय तक पति की भूमिका निभाने के पश्चात वे अपनी पत्नी को परित्यक्त कर देते हैं तथा ऐसे मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है।

डॉ. व्यास ने कहा कि आयोग के अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ को, जिसे 6 महीने पहले ही गठित किया गया था, वैवाहिक विवादों के संबंध में लगभग 177 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गत एक वर्ष के दौरान प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को ऐसी लगभग 331 शिकायतें प्राप्त हुईं। डॉ. व्यास ने कहा, "अमेरिका से सर्वाधिक 130 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिसके पश्चात ब्रिटेन से 44 और कनाडा से 37 शिकायतें प्राप्त हुईं। भारत में सर्वाधिक 87 शिकायतें पंजाब से प्राप्त हुईं जिसके पश्चात दिल्ली से 59 और हरियाणा से 21 शिकायतें प्राप्त हुईं।"

11. महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में 06 मार्च, 2010 को आयोजित प्रेस सम्मेलन

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पर एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्रेस सम्मेलन में मीडिया के अतिरिक्त विभिन्न महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। आयोग की अध्यक्षा ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करने के लिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यू) और वामपंथी पार्टियों को धन्यवाद दिया।

उन्होंने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने की अपील की।

आयोग द्वारा आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकें/कार्यशाला

1. "महिलाओं के प्रति हिंसा" विषय पर मुंबई में सेमिनार आयोजित किया गया।
2. "बलात्कार पीड़िताओं को राहत" विषय पर एनएएससी कंप्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में 25 जुलाई, 2009 को एक सेमिनार आयोजित किया गया।

महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन विषय पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित सेमिनार को संबोधित करती हुईं आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास

3. राजस्थान के जोधपुर में दिसंबर, 2009 में "गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम" पर आयोजित परामर्श सत्र।

बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास विषय पर आयोजित एक पारस्परिक वार्ता सत्र में आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास – दाएं से प्रथम

4. "भरण–पोषण प्रदान करने" विषय पर बेंगलुरु में अक्तूबर, 2009 में राष्ट्रीय परामर्श सत्र आयोजित किया गया।

5. "महिलाओं के अधिकार" विषय पर शिलांग में फरवरी, 2009 में क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

6. "बाल विवाह" विषय पर चित्तौड़गढ़ में मार्च, 2009 में एक सेमिनार आयोजित किया गया।

7. "विवाह योग्य आयु" विषय पर 27 अगस्त, 2009 को विज्ञान भवन में एक सेमिनार आयोजित किया गया।

इंडिया इस्लामिक सेंटर, नई दिल्ली में "अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह" विषय पर आयोजित सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करती हुईं आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 27 अगस्त, 2010 को संपन्न "अनिवासी भारतीयों से विवाह" विषय पर आयोजित सेमिनार में अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के उद्घाटन से संबंधित एक रिपोर्ट जारी करती हुई आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास – दाएं से प्रथम

8. "घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम को लागू करने" विषय पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 13 नवंबर, 2009 को एक सेमिनार आयोजित किया गया।

बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास विषय पर आयोजित सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करती हुई आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास

9. "डायन प्रथा" विषय पर उदयपुर में दिसंबर, 2009 में एक परामर्श सत्र आयोजित किया गया।

10. "बाल विवाह" विषय पर जोधपुर में दिसंबर, 2009 में एक कार्यशाला आयोजित की गई।

आयोग द्वारा प्रकाशित सूचनापत्र 'राष्ट्र महिला'

आयोग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित मासिक सूचनापत्र **"राष्ट्र महिला"** के माध्यम से देशभर में महिला कार्यकर्ताओं, कानून जगत के सदस्यों, प्रशासकों, न्यायपालिका के सदस्यों, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों और छात्रों को आयोग के कार्यक्रमों के बारे में सूचना पहुंचाना जारी रखा गया।

इस सूचनापत्र में आयोग के क्रियाकलापों तथा साथ ही आयोग में दायर की गई शिकायतों के निपटान और महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण अदालती और सरकारी निर्णयों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। मुद्रण की बढ़ती लागत के बावजूद, यह सूचनापत्र सभी पाठकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मासिक सूचना पत्र आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in पर भी उपलब्ध है।

अनिवासी भारतीयों के साथ विवाहों के मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करना

"अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा" विषय पर महिला सशक्तीकरण संबंधी संसदीय समिति (14वीं लोक सभा) द्वारा की गई एक सिफारिश समस्याग्रस्त अनिवासी भारतीय व्यक्तियों के साथ विवाह के मामलों में उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए एक पूर्ण रूप से विकसित/समन्वित तंत्र विकसित करने से संबंधित है ताकि व्यथित महिला को उसकी समस्या का एक सम्मानजनक समाधान प्राप्त हो सके। इस सिफारिश पर एक अंतर–मंत्रालयीय बैठक में विचार–विमश किया गया, जिसमें प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि शामिल थे। यह निर्णय लिया गया कि प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा विदेशों में स्थापित भारतीय मिशनों/पोस्ट से इस निर्णय पर ध्यान देने तथा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

यूनिफेम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

दिनांक 28.01.2010 को राष्ट्रीय महिला आयोग और यूनिफेम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन में किए गए करार निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं:

क. महिलाओं के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के हिंसात्मक व्यवहारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्यनीति विकसित करना, जिसमें भारत में महिलाओं के दुर्व्यापार को समाप्त करने के लिए कार्यनीति विकसित करना और नीतिगत वार्ता आयोजित करना तथा अध्ययनों, कार्रवाई, अनुसंधान और अन्य साधनों के जरिए भारत में उन क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है जहां महिलाओं के हर प्रकार से दुर्व्यापार की संभावना सर्वाधिक हो तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई में स्रोत क्षेत्रों के निवारण, कानून का प्रवर्तन, पुनर्वास, सुदृढ़ीकरण नीतियों पर भी बल दिया जाएगा।

ख. महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित अभिसमय (सीईडीएडब्ल्यू) पर नीतिगत चर्चा आयोजित करना, जिसमें जनता में जागरूकता सृजित करना, उक्त अभिसमय (कन्वेंशन) को लागू करने की दिशा में सरकार द्वारा की गई प्रगति की स्थिति की समीक्षा करना शामिल है।

ग. अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त महिला शिकायतकर्ताओं को हरसंभव सहायता प्रदान करने में मदद करना, जिसमें गैर–सरकारी संगठनों, भारत

और विदेश में सामुदायिक संगठनों के साथ तालमेल स्थापित करना तथा अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह के संबंध में किसी भी नीति या मुद्दे पर सरकार को सिफारिश करना, महिलाओं से संबंधित किसी भी मामले पर परामर्श सत्र, कार्यशालाएं आयोजित करना शामिल है। इस करार के परिणामस्वरूप एक कार्यदल गठित किया गया है, जिसमें यूनिफेम के दो अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग के दो अधिकारी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं।

अभिरक्षक संस्थाओं का दौरा

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10(10) के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग का एक कार्य यह भी है कि उसके द्वारा जेलों, रिमांड गृहों, महिला संस्थाओं या हिरासत की ऐसी किसी भी जगह जहां महिलाओं को कैदी के रूप में या अन्य किसी भी रूप में रखा जाता हो, का निरीक्षण करे या करवाए तथा ऐसी जगहों पर महिलाएं यदि किसी प्रतिकूल स्थिति में रह रही हों तो तत्संबंधी उपचारात्मक कार्रवाई हेतु मामले को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाए। हवालात में रखी गई महिलाओं की दशा का आकलन करने और विश्लेषण करने के लिए आयोग के सदस्यों ने वर्ष 2009–10 के दौरान निम्नलिखित जेलों का दौरा किया तथा निम्नलिखित प्रेक्षण/सिफारिशें कीः

- **राजस्थान स्थित सवाई माधोपुर जेलः**

आयोग के एक सदस्य ने दिनांक 05.07.2009 को सवाई माधोपुर जेल का निरीक्षण किया तथा उन्होंने वहां यह पाया कि महिला कैदियों को दी गई जगह काफी कम थी, जिसके कारण बहुत थोड़ी जगह में काफी अधिक संख्या में महिला कैदी रह रही थीं। वहां महिला कैदियों को क्षमता से अधिक संख्या में रखा गया था। जेल का वातावरण भी साफ–सुथरा नहीं था। जेल में रह रही कैदियों ने अपने कमरों में टेलीविजन सेट लगवाने का अनुरोध किया।

लंबित पड़े मामलों के संबंध में भी जेल अधीक्षक से बातचीत की गई। जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि जेल में महिला कैदियों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उनके लिए निर्धारित की गई जगह बढ़ाने के संबंध में तथा उनके मनोरंजन हेतु उनके कमरों में टेलीविजन सेट उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करके राज्य सरकार को भेजे।

- **महिला जिला जेल, शिलांगः**

आयोग की एक सदस्य ने 22 सितंबर, 2009 को महिला जिला जेल, शिलांग का दौरा किया और जेल के चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से भेंट की। निरीक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि महिला कैदियों के लिए दो शयन कक्ष उपलब्ध हैं, जिनका काफी अच्छी तरह रखरखाव किया जाता है। इस जेल में 7 महिला कैदी रह रहे थे, हालांकि जेल भवन काफी पुराना था किंतु उसके आसपास का क्षेत्र काफी साफ–सुथरा तथा पूर्णतः व्यवस्थित था।

जेल में उपलब्ध सुविधाओं के रूप में वहां व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप जैसे टोकरी बुनना, मोमबत्ती बनाना, सिलाई कार्य आदि से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इन क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षण वाइज (डब्ल्यूआईएसई) नामक एक गैर–सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। वहां एक छोटा बगीचा तथा आउटडोर और इनडोर खेलों की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। महिला कैदियों को पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के परामर्शदाताओं द्वारा परामर्श सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। कैदियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं/समस्याओं पर ध्यान देने के लिए जेल में एक चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद है। जेल में रह रही महिला कैदी संतुष्ट, स्वस्थ और सुखी लग रही थीं।

तथापि निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

1. मेघालय राज्य महिला आयोग द्वारा जेल की कैदियों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु उन्हें कानूनी

सहायता उपलब्ध करवाई जाए क्योंकि आयोग के पास अपना एक वकील है।

2. मेघालय राज्य महिला आयोग इन मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई कर सकता है।

3. मेघालय राज्य महिला आयोग और इसके सहयोगी गैर–सरकारी संगठनों द्वारा जेल में रह रही कैदियों को परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाए।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य, मेघालय राज्य महिला आयोग, जेल अधिकारियों और मीडिया के बीच पारस्परिक बातचीत के परिणामस्वरूप निम्नलिखित मामले विचारार्थ सामने आए:

क. पीड़ित महिलाओं को लिए गणेश दास अस्पताल में एक विशेष महिला प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए, जहां बलात्कार पीड़िताओं का त्वरित उपचार और उनकी जांच की जा सके तथा उन्हें परामर्श आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस प्रकोष्ठ द्वारा महिलाओं के हितों के अनुकूल कार्य किया जाना है।

ख. पुलिस थानों में महिला डेस्क का कार्य न करना।

ग. चूंकि महिलाओं के साथ अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, अतः महिलाओं के साथ अपराध से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग को मेघालय को और अधिक सहायता उपलब्ध कराई जानी है।

- **जोवई जिला जेलः**

आयोग की सदस्य ने दिनांक 23 सितंबर, 2009 को जोवई जिला जेल का दौरा किया और और जिला जेल के अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारी से भेंट की। निरीक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि इस जेल में 40–वर्षीया केवल एक ही महिला कैदी थी। इस जेल का रखरखाव काफी अच्छे ढंग से किया जा रहा था और वहां मनोरंजन हेतु टेलीविजन की व्यवस्था थी और सिलाई, दश्तकारी आदि जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी सुविधा उपलब्ध थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने जेल में रह रही एकमात्र महिला कैदी की सुरक्षा और उसके कल्याण के प्रति अत्यधिक चिंता व्यक्त की।

यह सुझाव दिया गया कि राज्य महिला आयोग जेल में रह रही कैदी को कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। जयंतिया युवा संघ के सचिव ने उस महिला को जमानत पर छुड़वाने के संबंध में अपनी सहमति दी। वहां मीडिया कर्मियों के साथ भी बातचीत हुई।

- **सिक्किम राज्य जेल, रोंगयिक और जिला जेल, नामची**

इन जेलों का राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य द्वारा 26 सितंबर, 2009 को दौरा किया गया। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (कारागार) और अन्य जेल अधिकारियों से भेंट की, जिन्होंने जेल में रह रही महिला कैदियों के मामलों तथा कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में उनसे बातचीत की। कुल मिलाकर, उन जेलों में 9 महिला कैदी रखी गई थीं। कारागार महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था। कारागार के प्रशासन ने अपराधियों के पुनरुद्धार, पुनर्वास और एक ईमानदार विचार के साथ समाज में फिर से लौटने के लिए उन्हें प्रेरित करने के अत्यधिक दुरुह कार्य को शुरू किया है तथा कैदियों को मशरूम की खेती, फर्नीचर निर्माण और बौद्ध धर्म से जुड़े चित्रों/घटनाओं की नक्काशी, कारागार के चाय बागान से हस्तनिर्मित चाय तैयार करने, बांस से बनाए गए उत्पादों, सिलाई, लिफाफा बनाने, पृष्प कृषि और उद्यान कृषि, जेटरी, डेयरी फार्मिंग, बेकरी और कन्फेक्शनरी तथा स्क्रीन प्रिंटिंग आदि जैसे व्यावसायिक कार्यक्रमों/व्यवसायों में लगाकर उनमें उपयुक्त रूप से सुधार लाने की चुनौती से निपटने का कार्य शुरू किया है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि कारागार में हार्डवेयर और नेटवर्किंग कंप्यूटर पाठ्यक्रम, यांत्रिक कार्यशाला तथा वेल्डिंग कार्य, भवन निर्माण, नलसाजी, इलेक्ट्रिक वायरिंग में से प्रत्येक के लिए एक यूनिट शुरू किया जाए। कारागार के निकट एक पर्यटक स्थल विकसित

करने का प्रस्ताव पहले ही राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की स्थिति जिला जेल, नामची में संतोषजनक और सिक्किम जेल में उत्तम पाई गई।

- **सवाई माधोपुर अस्पताल**

आयोग की एक सदस्य ने दिनांक 27.11.2009 को इस अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। यह अस्पताल काफी दयनीय स्थिति में था। अस्पताल के परिसर में आवारा पशु घूम रहे थे। जीवनोपयोगी औषधियों के भंडार, महिला और प्रसव वार्डों का भी निरीक्षण किया गया। अस्पताल द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को निःशुल्क दी जाने वाली दवाइयों की संख्या से संबंधित विवरण में कमी पाई गई। यह सूचित किया गया कि अस्पताल में रेडियोविज्ञानी, संज्ञाहरणविज्ञानी और शल्यचिकित्सक के पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त, अस्पताल के निकट एक पुलिस चौकी स्थापित करने की भी आवश्यकता है।

अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि अस्पताल की चाहरदीवारी निर्मित करने के संबंध में व्यवस्था की जाए और प्रवेश स्थल पर एक मुख्य द्वार बनवाया जाए ताकि अस्पताल के परिसर में पशुओं के प्रवेश पर रोक लग सके। अस्पताल प्रशासन को ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया जो अपने कर्त्तव्यों का उपयुक्त रूप में निर्वहन नहीं कर रहे हों। अस्तपाल में रिक्त पड़े पदों को भरने के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि उन्हें इस मामले को उठाना चाहिए और इस संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बातचीत करनी चाहिए। सदस्या ने एक महिला रोगी से भी मुलाकात की, जिसने अपनी आठवीं पुत्री को जन्म दिया था, जिसके कारण उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। सदस्या द्वारा अस्पताल प्रशासन को उस रोगी की सहायता करने के लिए कहा गया।